Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

# भारत में तलाक की समस्या

**डॉ. पूजा तिवारी ***

* सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना –** विवाह प्रत्येक समाज की अनिवार्य संस्था है ,भले ही इसका स्वरूप देशकाल तथा परिस्थितियों में अलग –अलग पाया जाता हो। 'यौन प्रवृत्तियों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए ही विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ। अनेक स्त्री – पुरूषों को विवाह असीम सुख,शांति तथा संतोष प्रदान करता है एवं उनके जीवन को व्यवस्थित बनाता है किंतु कई बार दुर्भाग्यवश विवाह का बुरा प्रतिसाद 'तलाक' के रूप में भी मिलता है।

इलियट एवं मेरिज के अनुसार 'तलाक हमेशा दुखांत एवं रिश्तों का अंतिम विसर्जन के रूप में होता है।' तलाक पारिवारिक तनाव का प्रमुख लक्षण होता है ,जिससे पारिवारिक विघटन एवं सामाजिक विघटन होता है । हिन्दू या सिक्ख धर्म में 'तलाक' की कोई अवधारणा नहीं है ,ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के सिवा कोई ओर किसी भी दंपति को अलग नहीं कर सकता है। तलाक की अवधारणा भारत में मुस्लिम शासनकाल के बाद समाज में आयी। आज तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है ,फिर भी भारत में लगभग 10 प्रतिशत जबकि विदेशों में 50 प्रतिशत की दर तलाक के संबंध में देखी गई है। मुस्लिम समाज में तलाक आसान प्रक्रिया है जबकि हिंदु समाज में जटिल प्रक्रिया है । तलाक किसी भी परिवार के लिए दुखद घटना है। जिससे मानसिक अशांति एवं खासतौर पर बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने से भारत में तलाक की संख्या बढ़ रही है।

**तलाक या विवाह विच्छेदन –** 'तलाक' शब्द अरबी भाषा के मूल शब्द 'तल्लाका' से बना है ,जिसका अर्थ किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करना होता है । 'तलाक' का अर्थ 'त्यागना' है , अरबी समाज में पति को निकाह संबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, मुस्लिम समाज में तलाक पति की ओर से ही लिया जा सकता है ,यदि पत्नि तलाक लेती है तो उसे 'खुला य कहते है ,एवं इसमें 'मेहर' की राशि नहीं दी जाती है।

भारतीय समाज में सभी जाति, धर्म के लोग एक साथ निवास करते है किंतु तलाक की समस्या वर्तमान में सभी जाति एवं धर्मो में देखी जा रही है।

**तलाक की समस्या बढ़ने के कारण –** भारतीय समाज में यदि हम तलाक की बढ़ती संख्या पर नजर डाले तो सर्वप्रथम कारण हमारे समक्ष आता है 'महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता' पुराने जमाने में महिलाऐं शिक्षित एवं जागरूक नहीं थी, साथ ही वो प्रत्येक आवश्यकताओं हेतू पति पर निर्भर रहती थी एवं आर्थिक निर्बलता के कारण पति के अत्याचार सहन करने पर मजबूर रहती थी, वह तलाक का साहस जुटा नहीं पाती थी ,क्योंकि शादी के बाद वापिस अपने पिता के घर आकर रहना सामाजिक दृष्टिकोण से हेय था एवं बूढे पिता पर वह बोझ नहीं बनना चाहती थी,किन्तु वर्तमान में स्थितियाँ बदल गयी है ,अब स्त्रियॉ पढ़ी लिखी आर्थिक रूप से मजबूत होती जा रही है आज एक नारी के लिए 'पति' से पहले शिक्षा एवं रोजगार हैं ,आज वह पति पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है।

तलाक से बढ़ती समस्या का दूसरा कारण युवक –युवतियों की मर्जी के बगैर विवाह कर देना है। कई प्रकरण में शादी घर वालों के दबाव में आकर कर ली जाती है ,जो बाद में तलाक के रूप में बदल जाती है।

बढ़ते तलाक हेतु लड़की के माता –पिता का अवांछनीय हस्तक्षेप भी है कई बार माँ–बाप अपनी बेटी को गलत सलाहे देकर उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देते है ।

तलाक के अन्य कारणों में 'सास –बहु मनमुटाव',षडयंत्रपूर्वक विवाह, यौन संबंधों में नीरसता ,बहुविवाह में रूचि तथा तलाक को समाज एवं परिवार द्वारा उचित मानना, आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न तनाव, दोहरी आय एवं भूमिका बदलना तथा मुख्य रूप से कानून आई.पी.सी. –498 का दुरूपयोग करना आदि है। इसके अलावा विवाह पूर्व संबंध एवं विवाहेत्तर संबंध भी तलाक को बढ़ाते है।

**भारत में तलाक की वर्तमान स्थिति** – आज विवाह विच्छेद की प्रक्रिया आसान हो गई है, इसलिए तलाक की संख्या पुराने समय की तुलना में दुगुनी एवं तिगुनी हो गई है ,वर्तमान में महानगरों के साथ ही छोटे शहरों,कस्बों में भी तलाक के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे है। अकेले दिल्ली में ही प्रतिवर्ष लगभग 9000 केस फाइल होते है जबकि मुंबई में 7000 केस फैमिली कोर्ट में प्रतिवर्ष दाखिल होते है, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत दंपत्ति की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होती है, जबकि लगभग 85 प्रतिशत केस शादी के प्रथम तीन वर्षो में ही दर्ज करवाए जाते है । कलकत्ता एवं चेन्नई में तलाक का प्रतिशत सर्वाधिक है।

वर्तमान में प्रेम विवाह एवं अर्न्तजातीय विवाहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ,उसी के अनुरूप 'तलाक' की संख्या भी बढ़ रही है क्योंकि कम आयु में गलत निर्णय लेकर जल्दबाजी में युवा वर्ग शादी तो कर लेता है किंतु शादी के पश्चात् जीवन की वास्तविकता का पता चलता है एवं प्रेम कहीं दूर छूट जाता है तथा दूसरे के धर्म एवं संस्कृति को अपनाना एवं निभाना बेहद कठिन लगने लगता है इसलिए अधिकांशत: अर्न्तजातीय विवाह भी असफल होकर 'तलाक' में बदल जाते है।

**हिन्दु एवं मुस्लिमों में तलाक का प्रावधान** – हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 से पूरे भारत में लागू किया गया (केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर ) हिन्दुओं में बौद्ध ,जैन, मुस्लिमों में इस्लामी कानून के अनुसार (1) तलाके अहसन (2) तलाके हसन (3) तलाके –उल –विद्त

(4) इला (5) खुला (6) मुबारत (7) जिहर (8) लियान आदि द्वारा तलाक लिया जा सकता है।

सन् 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होने के बाद मुस्लिम स्त्री को भी तलाक का अधिकार प्राप्त हो गया है। सन् 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ।

**तलाक के पक्ष में एवं विरोध में तर्क** – तलाक को कई दृष्टिकोण से अच्छा माना जा रहा है जिसमें प्रमुख रूप से स्त्रियों की दशा उन्नत करने में सहायक, समानता का सिद्धांत, कलह पूर्ण जीवन से छुटकारा एवं गतिशीलता हेतू आवश्यक आदि तर्क दिए जाते है। जबकि विवाह विच्छेद के विरोध में पारिवारिक –विघटन, बच्चों पर बुरा असर, आर्थिक निर्बलता, सामाजिक, विघटन आदि तर्क दिए जाते है।

**निष्कर्ष** – भारत में बढ़ती हुई तलाक की समस्या से स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय सामाजिक जीवन और परिस्थितियों में 'तलाक' की दर को कम करना जरूरी है अत: तलाक केवल गंभीर कारणों से ही देना चाहिए ,स्वस्थ जनमत, समर्पण आदि की भावना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अभिभावकों को चाहिए कि वे पूर्णत: खोजबीन करके विवाह तय करें ,एवं बच्चों के हितों के लिए सामंजस्य करना, त्याग करना चाहिए एवं स्त्रियों को भी कानूनी अधिकारों का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि आधुनिकता के इस युग में भी 'विवाह' एवं 'परिवार' नामक संस्था का अपना महत्व है ,बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए मॉ –बाप का एक साथ रहना अति आवश्यक होता है अत: विवाह को पवित्र संस्कार मानकर तलाक का विवाह विच्छेद को कम किया जा सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. मुखर्जी /अग्रवाल – समाजशास्त्र – अग्रवाल प्रकाशन, इंदौर।
2. बघेल डॉ.डी.एस./समाज शास्त्र – कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. महाजन डॉ. धर्मवीर /कमलेश नातेदारी ,विवाह ,परिवार का समाज शास्त्र – विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. डॉ.कालरा /भारत में तलाक की समस्या (इंटरनेट)
5. आजाद इंडिया फाउडेंशन की रिपोर्ट (इंटरनेट)

**********